27/5/22 पत्रावली प्रार्थना पत्र ... फोटोग्राफ्स के पेश हुई। आज पक्षकार एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 3 व 5-06 द्वारा उपस्थित आकर इकबाल अंकित किया एवं अपने-अपने पहचान पत्रों की फोटो प्रति प्रस्तुत की। पत्रावली वास्ते आगामी कार्यवाही हेतु दिनांक 17/6/22 को पेश हो।

17/6/22 आज पीठासीन अधिकारी..अवकाश पर है, पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 1-~~7~~-22 को पेश हो

1.7.22 अधिवक्तागण उपस्थित अधिवक्तागण पक्षकारान द्वारा बहस सुनी गयी। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 4/7/22 को पेश हो।

4/7/22 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित, वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया, पत्रावली का अवलोकन किया गया, प्रतिवादीगण द्वारा इकबालिया बयान दावा पेश किया गया अतः मुताबिक इकबालिया बयान दावा/सहमति के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया जावे। नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी जमा होने पर डिक्री जारी हो। निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – श्री मनोज कुमार मीना , आर.ए.एस.

वादपत्र संख्या 71 / 2020
अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. सोमनाथ पुत्र श्री अमीरचन्द जाति अरोड़ा आयु लगभग 60 वर्ष निवासी वार्ड संख्या 3, चूनावढ़ तहसील व अजला श्रीगंगानगर –वादी

बनाम

1. मनोज कुमार पुत्र श्री ताराचन्द जाति अरोड़ा निवासी वार्ड नं0 12 मेन बाजार, चूनावढ़ तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. मायादेवी पत्नी श्री ताराचन्द जाति अरोड़ा निवासी वार्ड नं0 12 मेन बाजार, चूनावढ़ तहसील व जिला श्रीगंगानगर। **–प्रतिवादीगण**
3. अशोक पुत्र नोताराम जाति अरोड़ा निवासी मेन बाजार, चूनावढ़ तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4. दर्शना कुमारी पत्नी पूर्णचन्द जाति अरोड़ा वार्ड संख्या 02 चूनावढ़ तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
5. नन्दलाल पुत्र श्री नोताराम जाति अरोड़ा निवासी मेन बाजार, चूनावढ़ तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
6. सरोज गुम्बर पत्नी श्री सोमनाथ जाति अरोड़ा निवासी मेन बाजार, चूनावढ़ तहसील व जिला श्रीगंगानगर। **–औपचारिक प्रतिवादीगण**
7. राजस्थान सरकार जरिये भू स्वामी तहसीलदार, श्रीगंगानगर / नायब तहसीलदार चूनावढ़ तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

उपस्थित– श्री मोहनलाल छाबड़ा (वादी)
श्री रामकुमार गोस्वामी (प्रतिवादी 1–6)
राज पैरोकार (प्रतिवादी 7)

दिनांक 05 जुलाई, 2022

वादपत्र संख्या 071 / 2020
अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण में न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर द्वारा वादी अधिवक्ता श्री मोहनलाल छाबड़ा व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 अधिवक्ता श्री रामकुमार गोस्वामी पैरोकार राज प्रतिवादी–7 की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि –

चक 25 जी जी, पटवार हल्का चूनावढ़, भू.अ.नि. चूनावढ़ के खाता संख्या 109 / 93 के मुरब्बा नम्बर 46 के किला नम्बर 13 ता 25 में 3.0860 है0 नहरी भूमि एवं 0.0760 है0 खाला इस प्रकार कुल 3.1620 हैक्टे0 नहरी मय खाला कृषि भूमि मे वादी सोमनाथ पुत्र अमीरचन्द का नाम कलमजन कर प्रतिवादी संख्या 01 मनोज कुमार पुत्र ताराचन्द व प्रतिवादी संख्या 02 मायादेवी पत्नी ताराचन्द के नाम रांजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। चक 25 जी जी, पटवार हल्का चूनावढ़, भू.अ.नि. चूनावढ़ के खाता संख्या 44 / 40 के मुरब्बा नम्बर 53 के किला नम्बर 1 से 25 में कुल 6.3230 हैक्टे0 नहरी कृषि भूमि में से 2634 / 6323 हिस्सा अर्थात् 2.634 हैक्टे0 कृषि भूमि एवं प्रतिवादिया संख्या 02 माया देवी पत्नी ताराचन्द के नाम जमाबंदी में दर्ज चक 25 जी जी, पटवार हल्का चूनावढ़, भू.अ.नि. चूनावढ़ के खाता संख्या 44 / 40 के मुरब्बा नम्बर 53 के किला नम्बर 1 से 25 में कुल 6.3230 हैक्टे0 नहरी कृषि भूमि में से 527 / 6323

हिस्सा अर्थात् 0.527 हैक्टे0 कृषि भूमि इस प्रकार प्रतिवादीगण संख्या 01 मनोज कुमार पुत्र ताराचन्द व 02 माया देवी पत्नी ताराचन्द के नाम कुल 3.161 हैक्टे0 नहरी कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का नाम कलमजन कर वादी सोमनाथ पुत्र अमीरचन्द के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। अतः डिक्री जारी की जाती है।

रूपये ...शून्य ....वास्ते...शून्य. ....खर्चा इस प्रकरण पर हुऐ व्यय मय ब्याज..शून्य..... दर वार्षिक ..शून्य .....आज की तिथि से वसूली दिवस तक अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 05 जुलाई, 2022 को जारी की गयी.

मनोज कुमार मीना
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर

वादी	राशि (00.00)	प्रतिवादी	राशि (00.00)
स्टाम्प वादपत्र	00.00	स्टाम्प वकालतनाम	00.00
स्टाम्प वकालतनाम	00.00	स्टाम्प आवेदनपत्र	00.00
स्टाम्प अभिलेखीय साक्ष्य	00.00	वकील शुल्क	00.00
वकील शुल्क	00.00	व्यय साक्षीगण	00.00
व्यय साक्षीगण	00.00	आयुक्त शुल्क	00.00
आयुक्त शुल्क	00.00	व्यय इजराय	00.00
कुल	**00.00**	**कुल**	**00.00**

मनोज कुमार मीना
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी – श्री मनोज कुमार मीना , आर.ए.एस.

वादपत्र संख्या 71/2020
अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्तकारी अधिनियम

सोमनाथ पुत्र श्री अमीरचन्द जाति अरोड़ा आयु लगभग 60 वर्ष निवासी वार्ड संख्या 3, चूनावढ़ तहसील व अजला श्रीगंगानगर —वादी

बनाम

मनोज कुमार पुत्र श्री ताराचन्द जाति अरोड़ा निवासी वार्ड नं0 12 मेन बाजार, चूनावढ़ तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
मायादेवी पत्नी श्री ताराचन्द जाति अरोड़ा निवासी वार्ड नं0 12 मेन बाजार, चूनावढ़ तहसील व जिला श्रीगंगानगर। —प्रतिवादीगण
अशोक पुत्र नोताराम जाति अरोड़ा निवासी मेन बाजार, चूनावढ़ तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
र्शना कुमारी पत्नी पूर्णचन्द जाति अरोड़ा वार्ड संख्या 02 चूनावढ़ तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
दलाल पुत्र श्री नोताराम जाति अरोड़ा निवासी मेन बाजार, चूनावढ़ तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
राज गुम्बर पत्नी श्री सोमनाथ जाति अरोड़ा निवासी मेन बाजार, चूनावढ़ तहसील व जिला श्रीगंगानगर। —औपचारिक प्रतिवादीगण
राजस्थान सरकार जरिये भू स्वामी तहसीलदार, श्रीगंगानगर/नायब तहसीलदार चूनावढ़ तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

उपस्थित–	श्री मोहनलाल छाबड़ा	(वादी)
	श्री रामकुमार गोस्वामी	(प्रतिवादी 1–6)
	राज पैरोकार	(प्रतिवादी 7)

दिनांक 04 जुलाई, 2022

–निर्णय–

...त्र के तथ्यों के अनुसार वादी के नाम से तहसील व जिला श्रीगंगानगर ... जी.जी. का 109/93, मुरब्बा नं0 46 का किला नं0 13 ता 25 में कुल ... नहरी कृषि भूमि, जिसमें 3.0860 है0 नहरी भूमि एवं 0.0760 है0 खाला ... कुल 3.1620 है0 भूमि मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2072–2075 राजस्व ... रहित दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से तहसील व जिला ... चक 25 जी.जी. का मुश्तरका खाता संख्या 44/40, मुरब्बा नम्बर 53 ... 1 से 25 कुल 6.3230 है0 नहरी भूमि में से 2634/6323 हिस्सा ... एवं प्रतिवादिया संख्या 2 के नाम से तहसील व जिला श्रीगंगानगर के ... का मुश्तरका खाता संख्या 44/40 मुरब्बा नं0 53 का किला नं0 1 से ... है0 नहरी भूमि में से 527/6323 हिस्सा अर्थात् 0.527 है0 भूमि ... प्रतिवादीगण संख्या 1 वा 2 के नाम से कुल 3.161 है0 नहरी कृषि भूमि ... संख्या 3 ता 6 के साथ मुश्तरका खाता में वाद विवाद रहित दर्ज ... भूमि को भी आगे वाद पत्र में वादाधीन कृषि भूमि के नाम से ... है। उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं प्रस्तुतकर्ता राजस्व रिकॉर्ड अनुसार ... 25 जी.जी. में 3.1620 है0 भूमि एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 ... है0 भूमि दर्ज रिकॉर्ड है जो कि उक्त दोनों भूमि की किस्म, ... समान है। वादी की पत्नी प्रतिवादिया संख्या 6 के नाम ... श्रीगंगानगर के चक 25 जी.जी. का खाता संख्या 44/40 में ... 2 के साथ ...रका खाता में 632/6323 हिस्सा भूमि दर्ज ... भूमि के ... संकलित करने के

...शय से वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 वा 2 के द्वारा आपस में भूमि तबादला करने का मानस बनाया एवं इसे मूर्त रूप देने के लिए प्रतिवादी संख्या 7 को निवेदन किये जाने पर प्रतिवादी संख्या 7 के द्वारा तबादला करने से इन्कार कर दिया जिस पर वादी को मौजूदा वाद प्रस्तुत करने का वाद हेतूक हासिल हुआ है। भूमि के समानीकरण, सरलीकरण करने हेतू राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में तबादला का प्रावधान प्रदत्त है एवं वादी तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 वा 2 की भूमि की किस्म, कीमत, पैदावार क्षमता एवं क्षेत्रफल समान होने के कारण तबादला में किसी भी प्रकार की कोई विधिक बाधा नहीं है एवं अन्य सहकाश्तकारान को कोई आपत्ति अथवा ऐतराज नहीं लेकिन प्रतिवादी संख्या 7 के द्वारा ऐसा तबादला स्वीकृत ना कर एवं वादी को प्रतिवादीगण संख्या 1 वा 2 के कुल हिस्सा 3.161 है0 का तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 वा 2 को वादी के हक व हिस्सा की 3.1620 है0 भूमि का खातेदार दर्ज ना करने एवं विधिक प्रावधानों की पालना ना करने के फलस्वरूप वादी को मौजूदा वाद माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करना पडा है। प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 6 को बतौर सहकाश्तकार औपचारिक पक्षकार बनाया गया है जिनके खिलाफ कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है एवं ना ही उन्हें वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 वा 2 के मध्य होने जा रहे तबादला से कोई आपत्ति अथवा ऐतराज ही है। प्रतिवादी संख्या 7 को बतौर भू स्वामी एवं तबादला करने से इन्कार करने के फलस्वरूप पक्षकार बनाया गया है। वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 वा 2 के द्वारा संयुक्त रूप से प्रतिवादी संख्या 7 के सम्मुख तबादला अनुसार वादी को प्रतिवादीगण संख्या 1 वा 2 के हक व हिस्सा की 3.161 है0 भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 वा 2 को वादी के हक व हिस्सा की 3.1620 है0 भूमि का खातेदार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने का निवेदन किये जाने पर प्रतिवादी संख्या 7 के द्वारा दिनांक 01.12.2020 को स्पष्ट इन्कार कर दिया है एवं माननीय न्यायालय से आदेश लाये जाने का कहा गया है। प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 6 को प्रतिवादीगण संख्या 1 वा 2 का सहकाश्तकार होने के नाते औपचारिक पक्षकार बनाया गया है। वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 वा 2 के मध्य मुताबिक तबादला राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार घोषित कर इन्द्राज करने में कोई कानूनी बाधा नहीं है। वादी जरिए वाद घोषणा इस अमर की डिग्री प्राप्त करने का अधिकारी है कि वादी प्रतिवादीगण संख्या 1 वा 2 के मुश्तरका खाता में हक वा हिस्सा की कुल न3.161. है0 कृषि भूमि का मुताबिक परस्पर तबादला खातेदार कृषक है एवं इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज करवा पाने का अधिकारी है एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 वा 2, वादी के नाम से दर्ज 3.1620 है0 भूमि के खातेदार कृषक है एवं उक्तानुसार ही राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम से अंकन करवा पाने के अधिकारी है। वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 वा 2 के द्वारा मुताबिक उपरोक्त तबादला भूमि के कब्जा का आदान प्रदान किया हुआ है। उक्त अराजी अदालतवाला के अधिकार क्षेत्र मे होने के कारण वाद पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार के अर्न्तगत आता है तथा उचित न्याय शुल्क एवं अन्दर मियाद है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री किया जावेः–

(क) वादी को प्रतिवादी संख्या 1 वा 2 के नाम से मुश्तरका खाता में दर्ज कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से तहसील व जिला श्रीगंगानगर के चक 25 जी.जी. का मुश्तरका खाता संख्या 44/40, मुरब्बा नम्बर 53 का किला नम्बर 1 से 25 कुल ...230 है0 नहरी भूमि में से 2634/6323 हिस्सा अर्थात् 2.634 है0 एवं प्रतिवादिया ... 2 के नाम से तहसील व जिला श्रीगंगानगर के चक 25 जी.जी. का मुश्तरका खाता संख्या 44/40 मुरब्बा नं0 53 का किला नं0 1 से 25 कुल 6.3230 है0 नहरी भूमि में से 527/6323 हिस्सा अर्थात् 0.527 है0 भूमि उपरोक्तानुसार प्रतिवादीगण संख्या 1 वा 2 के नाम से कुल 3.161 है0 नहरी कृषि भूमि का मुताबिक परस्पर ... घोषित किया जाकर उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज किया ...

किला नम्बर 13 ता 25 में कुल 3.1620 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि, जिसमें 3.0860 है0 नहरी भूमि एवं 0.0760 है0 खाला उपरोक्तानुसार कुल 3.1620 हैक्टे0 भूमि का मुताबिक परस्पर तबादलानाम खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज किया जावे।

दिनांक 30.12.2020 को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 की ओर से प्रतिवादीगण के अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा मय इकबालिया जवाब दावा प्रस्तुत किया गया।

दिनांक 12.01.2021 को जवाब राज्य पक्ष प्रस्तुत।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं अभिलेखीय साक्ष्यों क्रमशः चक चक 25 जी.जी., पटवार हल्का चूनावढ़ तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2072–2075 खाता संख्या 109/93 एवं खाता संख्या 44/40 के अवलोकन से वाद दादी मुताबिक आपसी सहमति के आधार पर स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया गया।

आदेश

चक 25 जी जी, पटवार हल्का चूनावढ़, भू.अ.नि. चूनावढ़ के खाता संख्या 109/93 के मुरब्बा नम्बर 46 के किला नम्बर 13 ता 25 में 3.0860 है0 नहरी भूमि एवं 0.0760 है0 खाला इस प्रकार कुल 3.1620 हैक्टे0 नहरी मय खाला कृषि भूमि मे वादी सोमनाथ पुत्र अमीरचन्द का नाम कलमजन कर प्रतिवादी संख्या 01 मनोज कुमार पुत्र ताराचन्द व प्रतिवादी संख्या 02 मायादेवी पत्नी ताराचन्द के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। चक 25 जी जी, पटवार हल्का चूनावढ़, भू.अ.नि. चूनावढ़ के खाता संख्या 44/40 के मुरब्बा नम्बर 53 के किला नम्बर 1 से 25 में कुल 6.3230 हैक्टे0 नहरी कृषि भूमि में से 2634/6323 हिस्सा अर्थात् 2.634 हैक्टे0 कृषि भूमि एवं प्रतिवादिया संख्या 02 माया देवी पत्नी ताराचन्द के नाम जमाबंदी में दर्ज चक 25 जी जी, पटवार हल्का चूनावढ़, भू.अ.नि. चूनावढ़ के खाता संख्या 44/40 के मुरब्बा नम्बर 53 के किला नम्बर 1 से 25 में कुल 6.3230 हैक्टे0 नहरी कृषि भूमि में से 527/6323 हिस्सा अर्थात् 0.527 हैक्टे0 कृषि भूमि इस प्रकार प्रतिवादीगण संख्या 01 मनोज कुमार पुत्र ताराचन्द व 02 माया देवी पत्नी ताराचन्द के नाम कुल 3.161 हैक्टे0 नहरी कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का नाम कलमजन कर वादी सोमनाथ पुत्र अमीरचन्द के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार स्टाम्प डयुटी प्रस्तुत करने पर राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करें। उक्त वर्णित भूमि पर ऋण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवं उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा। खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार पर्चा डिक्री हेतु स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किए जाने पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

निर्णय खुले खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 04.07.2022 को जारी किया गया।

मनोज कुमार मीना

A3/4

5/7/22 निर्णय दिनांक 4/7/22 की पालना में स्टाम्प ड्यूटी जमा होने पर पत्रावली आज दिनांक पेशी में ली गई। पत्रावली में पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली मकीवद्द हो। पत्रावली दायरा पंजिका के क्रम से कम की जाकर निर्णय की प्रत्री में शामिल हो।

(हस्ताक्षर)